न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-89/2017/टोंक (2017/00107)

हरिनारायण पुत्र स्व0 राम निवास जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मण्डलिया तहसील निवाई जिला टोंक । मृतक जरिये वारिसान :-

1/1 धर्मराज पुत्र हरिनारायण
1/2 रामकिशन पुत्र हरिनारायण
1/3 राजु पुत्र हरिनारायण
1/4 विनोद पुत्र हरिनारायण
1/5 सुरेन्द्र पुत्र हरिनारायण
1/6 शिवदयाल पुत्र हरिनारायण
उपरोक्त सभी जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डालिया तहसील निवाई जिला टोंक
1/7 कलावती पुत्री हरिनारायण शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा निवासी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक।
1/8 चन्द्रमनी सुपुत्री हरिनारायण शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा निवासी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
1/9 शिवप्यारी सुपुत्री हरिनारायण शर्मा पत्नी श्री अश्वनी शर्मा निवासी चाकसू तहसील चाकसू जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1- शिवपाल पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक।
2- ग्राम पंचायत खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक ।
3- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निवाई जिला टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार, निवाई जिला टोंक दिनांक 24.8.2017 प्रकरण संख्या 12/2016.

उपस्थितः-

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–08.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान तहसीलदार, निवाई जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx
यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः–

1- ग्राम पंचायत खण्डवा ने दिनांक 22.7.1970 को नामान्तरकरण संख्या 94 व 95 अपीलान्ट के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किया । ग्राम पंचायत खण्डवा के आदेश दिंनाक 22.7.1970 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। जिसे दिंनाक 27.2.2004 को स्वीकार कर निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई।

2- तहसीलदार निवाई जिला टोंक ने दिनांक 24.8.2017 को नामान्तरकरण संख्या 94 व 95 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया एवं उत्तराधिकार निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने का आदेश प्रदान किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेटस के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोर्डेटस की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की है और न ही उन्होने कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई है । जबकि अधिनस्थ न्यायालय को पूर्व में प्रकरण दिनांक 27.2.2004 को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था । इस निर्णय के तहत अधिनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है । जबकि अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्णय की पालना करते हुए समस्त कानूनी प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था । अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्वान्तिक भूल की है । जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

5- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर पर ध्यान दिया कि मनसुख लाल का विवादित भूमि से इस कोई हक एवं अधिकार नहीं है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने मनसुख लाल को जीवित बताया था । जबकि इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए तथा मनसुख लाल अलग व्यक्ति है । यह मनसुख लाल उर्फ लगाकर कार्यवाही में भाग लेना चाहता था, और न ही कभी व्यक्ति अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था । जबकि डगलिया नाम कभी भी मनसुख लाल कभी भी नहीं रहा था और न ही इसका रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से कोई हक एवं अधिकार रहा था । रेस्पोडेण्ट संख्या–1जिस

तथाकथित वसीयत दिंनाक 28.9.1992 के आधार पर चल रहा है । इस तथाकथित वसीयत से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को कोई भी हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है और न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने इस तथाकथित वसीयत को साबित किया था । तथाकथित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या–1 को कोई अधिकार एवं स्वत्वः प्राप्त नहीं होता है और न ही वसीयत के आधार पर कोई प्रोबेट जारी करवाया था । क्योकि वसीयत अपंजीकृत है । वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को कोई हक एवं अधिकार चाहताह है तो उसे सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके अपने हक एवं अधिकार साबित करवाने होगें । नामान्तरण की कार्यवाही में वसीयत के तथ्य को देखा नहीं जा सकता है ।

6- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 94 व 95 ग्राम पंचायत द्वारा पूर्णतया कानूनी प्रावधानो के तहत तस्दीक किया गया था। अपीलान्ट ने विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 1147 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा सुरेन्द्र सिंह को बेचान कर दी थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1374 दिंनाक 20/12/2013 को क्रेता के हक में तस्दीक किया था तथा शेष भूमि अपीलान्ट द्वारा जरिये बख्शीश अपनी पुत्र धर्मचन्द व बाबूलाल, शिवलाल, किशन व विनोद के हक में पंजीकृत बख्शीश कर दी थी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 17/04/2014 को तस्दीक किया गया था। जिसमें से नामान्तरकरण संख्या 1369 को रेस्पोर्डेट संख्या 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के यहां पर चुनौती प्रदान की थी। उसकी अपील दिनांक 31/01/2017 को खारिज की थी। तथा नामान्तरकरण संख्या 1369 बहाल रखा गया था। इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 1369 और 1374 आज दिनांक तक बहाल व अन्तिम है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जावें।

7- विद्वान वकील रेस्पोर्डेटस ने जवाब बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी निवाई में दर्ज प्रकरण संख्या 05/92 सरकार जरिये तहसीलदार बनाम हरिनारायण व अन्य के निर्णय दिनांक 27/02/2004 के रिमांड पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट तहसीलदार द्वारा अपील में वर्णित आराजी पूर्व खातेदार डगलया,पि0मु0 गणपत बाह्मण के नाम होना तथा डगलया कई वर्षो से ब्यावर जिला अजमेर मे निवास करना व तत समय जीवित था। तथा उसके जीवित होते हुए भी हरिनारायण ने जालसाजी करके उसको मृत बताकर वाद ग्रस्त आराजी का विरासत संबंधी नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 22/07/70 को ग्राम पंचायत से स्वीकार करा लेना अंकित किया है। सनमुख लाल के स्वंय द्वारा पक्षकार बनने हेतु दायर प्रार्थना पत्र से ही जीवित होने का तर्क दिया गया है। रिमांड पत्रावली में नामान्तरकरण की ही वैधता पर संदेह बताते हुए व्यक्ति युक्त निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये है।

8- पटवारी हल्का खण्डवा की रिपोर्ट पर तहसीलदार ब्यावर से रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी हल्का नया नगर की रिपोर्ट की आधार पर प्रमिला उर्फ गंगा

पत्नि सुनील शर्मा निवासी कोटा को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई हेतु उपस्थित होने के नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रमिला की और से अधिवक्ता श्री सीताराम शर्मा ने अभिभाषक पत्र लगाया किन्तु अधिवक्ता द्वारा पैरवी नही की गई। रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक ली गई जिसमे रिकार्ड की एवं मौके की स्थिति बताते हुए डगल्या के वारिसान की कोई जानकारी नही होना बतायो गया है।

9- उपखण्ड अधिकारी निवाई मे दायर प्रकरण संख्या 05/92 सरकार जरिये तहसीलदार निवाई (भूमिधारी) बनाम हरिनारायण पुत्र रामनिवास बाह्मण निवासी मण्डालिया तहसील निवाई व अन्य के निर्णय दिनांक 27/02/2004 के रिमांड पत्रावली के नामान्तरकरण संख्या 94, 95 वाके ग्राम खण्डवा के अवलोकन के स्पष्ट होता है कि पूर्व खातेदार डगल्या पुत्र गणपत की विरासत का नामान्तरकरण हरिनारायण एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22/07/1970 को स्वीकृत किया गया। जबकि पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में डगल्या की मृत्यु की दिनांक 08/05/1999 अंकित है। साथ ही अपंजीकृत वसीयत एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायलय में डगल्या द्वारा दावा किये जाने से ही यह सिद्ध है कि डगल्या को जीवित रहते हुये ही मृतक बताकर जालसाजी करके डगल्या के जीवित रहते हुए ही हरिनारायण के पक्ष में विरासतन नामातंरण करवा लिया गया था, जो अवैध है। जिसको निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। बहस के अन्त मे रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता अपील खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है। वादी द्वारा अपंजीकृत वसीयत पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने के प्रार्थना पत्र मे हम वकील अप्रार्थी के तर्क से सहमत है कि अंपजीकृत वसीयत पत्र को बिना सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करवाये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खातेदार की सुनवाई किये बिना वादी शिवपाल के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण किया जाना सम्भव नही है। मुताबित रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक रजवास के वारिसान की सही जानकारी नही होने से पक्षकारान को उतराधिकार घोषणा के लिए सक्षम न्यायलय से अनुतोष प्राप्त किया जाना उचित होगा।

10- हमने उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सूना तथ अधिनस्थ न्यायलय के अभिलेख सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। हमारा निष्कर्ष है कि डगल्या के प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम-10 की उपखण्ड अधिकारी निवाई ने 02/05/1994 को स्वीकार किया जिसमे राजस्व मण्डल अजमेर ने निगरानी/एल.आर./49/94/टोंक में सक्षिप्त आदेश होने के आधार पर उपखण्ड अधिकारी निवाई के आदेश को निरस्त कर दिया। उस निगरानी मे डगलया के फर्जी एव असली होने का निर्णय नहीं किया है। तहसीलदार निवाई ने पूर्ण जांच पड़ताल पश्चात् आदेश दिया है, जो विधि अनुसार है सन् 1970 का नामान्तरकरण दत्तक पुत्र के आधार पर खुलवाया है दत्तक नामा रेकार्ड पर होना चाहिए जो नहीं है। डगल्या का मृत्यु प्रमाण पत्र रेकार्ड पर है जो पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में डगल्या की मृत्यु की दिनांक 08.05.1999 अंकित है। साथ ही अपंजीकृत वसीयत एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में डगल्या द्वारा दावा किये जाने की से ही यह सिद्ध है कि डगल्या को जीवित रहते हुये की मृतक बताकर

जालसाजी करके डगल्या के जीवित रहते हुए ही हरिनारायण के पक्ष में विरासतन नामान्तरकरण करवा लिया गया था, जो अवैध है। जिसको निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

11- वादी द्वारा अपंजीकृत वसीयत पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने के प्रार्थना पत्र मे हम वकील अप्रार्थी के तर्क से सहमत है कि अपंजीकृत वसीयत पत्र को बिना सक्षम न्यायलय से प्रोबेट करवाये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खातेदार की सुनवाई किये बिना बादी शिवपाल के पक्ष मे वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण किया जाना सम्भव नही है। मुताबिक रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक रजवास के वारिसान की सही जानकारी नही होने से पक्षकारान को उत्तराधिकार घोषणा के लिए सक्षम न्यायलय से अनुतोष प्राप्त किया जाना उचित होगा।

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा तहसीलदार निवाई जिला टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 12/2016 उनवान शिवपाल पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.08.2017 यथावत कायम रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.23 13:03:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: